

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2004—पौष 2, शक 1926

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-13-8/खाद्य/2004/29.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश क्रमांक जी. एस. आर. 630 (ई) दिनांक 31-8-2001 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 है ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
- (3) यह "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषायें -

- (1) इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) 'केन्द्रीय आदेश' से अभिप्रेत है, (भारत सरकार द्वारा जारी) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 ;
 - (ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;
 - (ग) संचालक से अभिप्रेत है, संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण छत्तीसगढ़ ;
 - (घ) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर एवं इसमें शामिल है ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;
 - (ङ) "उचित मूल्य की दुकान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारियों को आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय हेतु अनुबंध द्वारा स्थापित दुकान ;
 - (च) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारकों को आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि चावल, गेहूँ, शक्कर, मिट्टी

तेल, नमक तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जो केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क. 10 सन् 1955) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित हैं, के वितरण की प्रणाली ;

(छ) "राशनकार्ड" के अंतर्गत निम्न प्रकार के राशन कार्ड सम्मिलित हैं -

- (एक) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को जारी राशनकार्ड
- (दो) - गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी राशनकार्ड
- (तीन) अन्त्योदय परिवारों (राज्य सरकार द्वारा चयनित अति गरीब परिवार) को जारी राशनकार्ड
- (चार) अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निराश्रित व्यक्तियों को जारी राशनकार्ड
- (पांच) ऐसे अन्य राशनकार्ड जो राज्य शासन या केन्द्र शासन की किसी योजना के विशेष प्रयोजन हेतु जारी किये जायें।

3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान -

- (1) राज्य सरकार अन्त्योदय परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) की पहचान के लिए उचित दिशा निर्देश बनाएगी। आगामी वर्षों में नयी सूचियां तैयार होने तक वर्तमान चयन सूचियां मान्य रहेंगी।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण तथा छावनी क्षेत्र में छावनी बोर्ड राशनकार्ड से संबंधित उपयोग हेतु गरीबी रेखा के नीचे के तथा अन्त्योदय परिवारों की सूची का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण करेंगे जिससे अपात्र परिवारों का नाम सूची में से निकाला जा सके तथा पात्र परिवारों का नाम सूची में जोड़ा जा सके।
- (3) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामसभाएं तथा स्थानीय प्रतिनिधि निकाय अपने क्षेत्राधिकार में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अन्त्योदय परिवारों तथा अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों का अंतिम रूप से चयन करेंगी।
- (4) यदि पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं राशनकार्ड जारी किए जाने में कोई अनियमितता पाई जाती है एवं कोई योजना विशेष जैसे (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) हेतु योजना, अन्त्योदय योजना या अन्नपूर्णा योजना) के राशनकार्ड अपात्र व्यक्तियों को दिए जाते हैं अथवा इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो संबंधित राशनकार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

4. राशनकार्ड -

- (1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए भिन्न-भिन्न राशनकार्ड जारी किए जाएंगे। हितग्राही परिवार को संचालक द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन करने पर ही राशनकार्ड जारी किया जा सकेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य समस्त कमजोर नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है और राशनकार्ड इस हेतु माध्यम है। अतः राशनकार्ड उन समस्त निवासियों को भी दिया जावे जिनका निवास स्थान की वैधानिक स्थिति

राज्य के अनुसार विवादित है, (उदाहरणार्थ- वनों में निवासित, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमिक) ।

- (2) आवासहीन एवं निराश्रित व्यक्तियों हेतु निर्धारित प्ररूप में स्थायी पते की जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा । ऐसे व्यक्तियों के स्थायी निवास पते के स्थान पर निकटतम उचित मूल्य की दुकान का पता दिया जा सकता है ।
- (3) नगरीय बस्तियों में निवासरत समस्त व्यक्तियों, यदि उनके पास निवास क्षेत्र का अधिकार न हो तो भी उन्हें राशनकार्ड जारी किया जावे । यह नियम शासकीय भूमि में अतिक्रमण के रूप में निवासित पात्र व्यक्तियों पर भी लागू होगा ।
- (4) अतिक्रमणित या विवादित वन भूमि में निवासरत वन ग्रामों के व्यक्तियों को भी राशनकार्ड जारी किया जावे ।
- (5) राज्य सरकार द्वारा बोगस राशनकार्डों को निरस्त किए जाने की नियमित कार्यवाही की जावेगी ।
- (6) गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले (ए.पी.एल.) परिवारों के राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण तथा छावनी क्षेत्रों में छावनी बोर्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राशनकार्ड बनाकर उपभोक्ताओं को जारी किये जाएंगे । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) के भिन्न राशनकार्ड कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे ।
- (7) वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड निरस्त होने की घोषणा की तिथि तक मान्य रहेंगे ।
- (8) कोई भी व्यक्ति -
 - (क) राशनकार्ड के लिये आवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से राशनकार्ड जारी है तथा उसमें उसका तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम अंकित हैं ।
 - (ख) राशनकार्ड के लिये आवेदन देते समय गलत विवरण या जानकारी नहीं देगा ।
 - (ग) राशनकार्ड की प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि को जानबूझकर परिवर्तित या नष्ट किये जाने या विकृत किये जाने का कार्य अथवा इसके लिये अनुज्ञा नहीं देगा ।
- (9) संबंधित कार्यालय/निकाय/अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक जांच एवं सत्यापन उपरान्त अधिकतम एक माह की अवधि के अंदर राशनकार्ड जारी करेगा । राशनकार्ड जारी होने पर आवेदन पत्र तथा जांच रिपोर्ट की प्रति संबंधित उचित मूल्य दुकान को दी जाएगी । उचित मूल्य की दुकान पर ऐसे सभी आवेदन तथा जांच रिपोर्ट को एक रजिस्टर में लगाकर रखा जाएगा तथा जांचकर्ता अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर रजिस्टर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावेगा ।
- (10) राशनकार्ड धारक उसका पंजीकरण संबंधित उचित मूल्य की दुकान में करवाएगा । राशनकार्ड धारक ऐसी उचित मूल्य की दुकान में जिसमें राशनकार्ड पंजीकृत किया गया है, प्रस्तुत करने पर ही सरकारी स्कीमों के अधीन आवश्यक वस्तु प्राप्त कर सकेगा ।
- (11) यदि किसी आवेदक को एक माह में राशनकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा उसकी किसी प्रविष्टि में परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी के लिए उसे कारणों की लिखित में सूचना देनी होगी ।
- (12) कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त पात्र परिवारों तथा किन्हीं योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित व्यक्तियों को उनकी पात्रता के आधार पर राशनकार्ड जारी हो गये हैं । वे इस हेतु संबंधित अधिकारियों या निकायों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे ।

- (13) सामान्यतः राशनकार्ड जारी किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। पांच वर्ष की अवधि के उपरान्त राशनकार्ड ऐसी पद्धति से नवीनीकृत किया जाएगा अथवा नवीन राशनकार्ड जारी किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।
- (14) राशनकार्ड में कार्डधारक तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, आयु और पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। राशनकार्ड पर उस उचित मूल्य दुकान का नाम तथा कमांक स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा जिससे राशनकार्ड धारक आवश्यक वस्तुओं के कय हेतु अधिकृत रहेगा।
- (15) राशनकार्ड परिवार के वयोवृद्ध महिला एवं पुरुष के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया जावेगा। राशनकार्ड में "परिवार के मुखिया के नाम" के स्थान पर यह दोनों नाम अंकित होंगे।
- (16) यदि कोई महिला अपने पति से पृथक हो जाती है अथवा परित्याग कर दी जाती है तब वह स्वतः पृथक कार्ड की हकदार होगी जिसका स्तर मूल कार्ड के समान होगा। राशनकार्ड जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसका नाम मूल से काट दिया जावे। महिला के परिवार से पृथक होने के परिणाम स्वरूप यदि उसकी आजीविका का आधार समाप्त हो जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति निम्न हो जाती है तो उसके पृथक राशनकार्ड हेतु आवेदन पर पात्रतानुसार जो भी उचित हो, बी.पी.एल., अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड उसे प्राप्त होगा।
- (17) बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों को राशनकार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा कोई राशनकार्ड शुल्क भरित अथवा वसूल नहीं किया जावेगा।
- (18) राशनकार्ड मात्र ऐसे व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति की ओर से जिसके संबंध में वह जारी किया गया है उपयोग किया जा सकेगा, इसके अलावा राशनकार्ड अन्य किसी वैधानिक उपयोग के लिए मान्य नहीं किया जायेगा तथा किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (19) किसी व्यक्ति को जारी राशनकार्ड अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- (20) इस आदेश के अंतर्गत जारी प्रत्येक परिवार राशनकार्ड राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी, परन्तु वह व्यक्ति जिसको कि राशनकार्ड जारी किया गया हो या वह जिसके पास रखा गया हो या समर्पित किया गया हो वह राशनकार्ड की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- (21) यदि कोई परिवार कार्ड विकृत, गुम या नष्ट हो जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे ऐसी फीस सदाय के बाद जैसा कि विहित हो, उसके स्थान पर नया राशनकार्ड जारी कर सकता है।
- (22) जब गुम हुए राशनकार्ड के स्थान पर नया राशनकार्ड जारी कर दिया गया हो एवं बाद में पुराना कार्ड वापस मिल जाने की स्थिति में कार्डधारी तुरन्त ही उस अधिकारी को जिसके द्वारा वह जारी किया गया है गुम हुए राशनकार्ड को वापस करेगा।
- (23) जब कोई व्यक्ति किसी राशनकार्ड के आधिपत्य में है और ऐसे आधिपत्य इस आदेश के द्वारा या अंतर्गत अधिकृत नहीं है तब वह तुरन्त ऐसे राशनकार्ड को संबंधित तहसीलदार या स्थानीय निकायों को सौंप देगा।
- (24) आवश्यक वस्तुओं के व्यपवर्तन को रोकने हेतु कलेक्टर द्वारा जाली राशनकार्डों और राशनकार्डों में जाली यूनिटों को समाप्त करने के लिए अनवरत प्रक्रिया चलाई जावेगी।
- (25) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या राशनकार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी किसी राशनकार्ड के धारक को अपना कथन करने का अवसर देने के उपरांत और लिखित में अभिलिखित कारणों से, जब उसकी राय में जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो, राशनकार्ड में वृद्धि, संशोधन, परिवर्तन कर सकता है, रद्द कर सकता है और ऐसे सभी

मामलों में रद्दकरण या पृष्ठांकन के लिये जैसी स्थिति हो मांग करने पर राशनकार्ड प्रस्तुत करने के लिये राशनकार्ड धारक बाध्य होगा।

5. उठाव, भण्डारण, परिवहन तथा वितरण -

- (1) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी आबंटन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (2) संचालक, केन्द्र सरकार से आबंटन प्राप्त होने के दस दिन के अंदर द्वारा आबंटन का जिलेवार उप आबंटन कर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम से विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत उपार्जित खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न का उठाव करने के लिए अधिकृत करेगा।
- (3) भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित राशि के साथ मांग प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर उस एजेंसी को निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।
- (4) जिला मुख्यालय का खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी उचित मूल्य दुकानवार आबंटन जारी करेगा। प्रत्येक आबंटन आदेश की प्रति संबंधित ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- (5) उचित मूल्य दुकानों को मासिक आबंटन प्रदाय करते समय आबंटन अधिकारी द्वारा उन दुकानों में उपलब्ध शेष स्टॉक की जानकारी ली जाएगी तथा अगले माह का आबंटन उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा।
- (6) कलेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक माह की सात तारीख तक उचित मूल्य दुकानों में आबंटन के अनुरूप खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक पहुंचा दिया जाए।
- (7) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के पहले उस स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण करेंगे, जिसमें से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है, तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय होने वाला खाद्यान्न निर्धारित गुणवत्ता का है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वितरण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न का उनके प्रदाय केन्द्रों में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण उपरांत यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किए जाने वाला खाद्यान्न निर्धारित गुणवत्ता का है।
- (8) भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए प्रदाय किए गए खाद्यान्न के ढेर में से छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को (स्टेकवार) सील्ड नमूने प्रदाय करेगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड लीड एवं लिंग सहकारी संस्थाओं एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न के स्टेक में से स्टेकवार सील्ड नमूने प्रदाय करेगा।

- (9) कलेक्टर ऐसे समुचित उपाय करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा उठाए जाने वाले खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक की पूरी मात्रा संबंधित एजेंसी के गोदामों में उपलब्ध हो तत्पश्चात उचित मूल्य दुकानों तक समय पर पहुंच जाये।
- (10) कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली समस्त आवश्यक वस्तुएं जिसमें खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन एवं नमक सम्मिलित हैं का परिवहन करने वाले संबंधित संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदाय केन्द्रों से जारी किये जाने वाले खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक तथा केरोसिन संबंधित एजेंसियों के गोदामों से प्रदाय किए गए केरोसिन को परिवहन, भण्डारण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर कम गुणवत्ता की वस्तुओं से न बदला जावे।
- (11) संचालक खाद्य उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण के लिए प्रक्रिया का निर्धारण तथा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं राशनकार्ड रजिस्टर के प्रारूप तय करेंगे।
- (12) राशनकार्ड धारण करने वाले व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से अपनी पात्रता अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। राशनकार्ड धारक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह पात्रतानुसार खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं एक बार में ही उठाव करें अपितु वह अपनी सुविधानुसार किशतों में ले सकेंगे।
- (13) राशनकार्डधारी अपनी पात्रता की उठाव न किये गए अधिकतम दो माह का खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकेंगे।

6. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति -

राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति,

- (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी आवश्यक वस्तु के विक्रय, वितरण या भंडारण के लिए उपयोग या उपयोग किये जाने के लिए विश्वास किये गये किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और ऐसे परिसर या किसी आवश्यक वस्तु का निरीक्षण कर सकेंगे।
- (2) ऐसी आवश्यक वस्तु की खरीदी, बिक्री, वितरण या भण्डारण के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई कथन देने के लिए या कोई जानकारी देने के लिए या उसके कब्जे या उसके नियंत्रण के अंतर्गत किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है, और इस प्रकार अपेक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का पालन करेगा।
- (3) ऐसी आवश्यक वस्तु की खरीदी, बिक्री, वितरण या भण्डारण से संबंधित किसी दस्तावेज जो कि उप नियम (2) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है या ऐसे किसी परिसर में अन्वथा प्राप्त होता है उसका संक्षिप्त या प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।
- (4) ऐसे किसी परिसर में जाए गए किसी या सभी आवश्यक वस्तु का वजन कर सकता है या करा सकता है, परन्तु किसी परिसर में प्रवेश और जांच करते समय, परिसर में जिस

व्यक्ति का कब्जा हो उसके सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का उचित आदर किया जाएगा ।

- (5) उक्त प्राधिकारी ऐसे लेख बहियों या आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा या उनको हटा सकेगा जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उन वस्तुओं का इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाएगा ।

7. मानिट्रिंग -

- (1) संचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए । निरीक्षण के लिए संचालक खाद्य द्वारा आदेश जारी किया जायेगा जिसमें निरीक्षण सारणी, जांच के बिन्दु तथा निरीक्षण ऐसे आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का उल्लेख रहेगा ।
- (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियों की बैठकें नियमित आयोजित की जाए । सभी स्तर की निगरानी समिति की बैठक की आवर्तता माह में कम से कम एक बार होगी । राज्य स्तर की निगरानी समिति में सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नरों (याचिका 196/2001, पी. यू.सी.एल. विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया) के सलाहकार एवं सलाहकार द्वारा नागरिकों में से नामांकित एक प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे । इसी प्रकार जिला समितियों में सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नरों के सलाहकार द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ।
- (3) उचित मूल्य दुकानों के क्रियाकलापों की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा वर्ष में एक बार सामाजिक अंकेक्षण के रूप में किया जावेगा ।
- (4) संचालक खाद्य द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के आबंटन एवं वितरण को रिपोर्ट की आवधिक प्रणाली सुनिश्चित की जावेगी । उचित मूल्य की दुकान को संचालित करने वाला व्यक्ति प्रत्येक माह में हुए वास्तविक वितरण तथा शेष रहे स्टॉक की जानकारी जिला खाद्य कार्यालय को निर्धारित प्रारूप "क" में भेजेगा । फार्म 'ए' की जानकारी को संकलित कर कलेक्टर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक राज्य शासन को निर्धारित प्रारूप "ख" में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे । राज्य सरकार प्रत्येक माह के अंत तक पिछले माह की संकलित जानकारी केन्द्र सरकार को प्रारूप "ग" में भेजेगी ।
- (5) जिलों को खाद्य पदार्थों का भविष्य में आबंटन, संबंधित जिलों से प्राप्त नियमित रिपोर्टों और उनके द्वारा उस माह से, जिसके लिए आबंटन किया गया है, एक माह के अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने से संपृक्त होगा ।
- (5) राशनकार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनके अधिकार एवं सुविधाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया के द्वारा दिये जाने हेतु राज्य सरकार आवश्यक निर्देश जारी करेगी ।
- (6) राज्य सरकार विभागीय आवश्यकतानुसार सिटीजन चार्टर जारी एवं अंगीकृत करेगी ।

8. उचित मूल्य दुकानों की संख्या एवं स्थिति -

जिले में उचित मूल्य दुकानों की संख्या तथा दुकानों की स्थिति जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जावेगी जिसके लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जायेगा :-

- (1) सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में प्रति 1,000 राशनकार्डों के लिए एक उचित मूल्य दुकान होगी (कम से कम 400 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले या अन्त्योदय राशनकार्ड में)। उचित मूल्य दुकाने ऐसे स्थानों पर स्थापित की जावे जो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये सुविधाजनक हो।
- (2) दुकानों की संख्या तथा स्थिति इस आधार पर निर्धारित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं चलना पड़े।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः ग्राम पंचायत को इकाई मानकर उचित मूल्य दुकान आबंटित की जावेगी परन्तु 3 किलोमीटर से अधिक दूरी होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक दुकाने स्थापित की जा सकेंगी। दुकानों की स्थिति क्षेत्र के मध्य होनी चाहिये ताकि वहां के निवासियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक रहे।
- (4) ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानें शासकीय भवनों में संचालित की जाए किसी भी परिस्थिति में निजी भवनों में उचित मूल्य दुकाने संचालित न की जावे। शहरी क्षेत्रों में निजी आवास के लिए उपयोग किये जाने वाले भवनों में उचित मूल्य दुकाने संचालित न की जावे।

9. उचित मूल्य दुकानों का आबंटन -

- (1) वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्पस), प्राथमिक सहकारी साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित दुकानें यथावत संचालित रहेंगी किन्तु निजी व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन नहीं कराया जायेगा। इस आदेश के प्रभावशील होने की तिथि से छः माह की समयावधि के अंदर निजी उचित मूल्य दुकानों का आबंटन रद्द किया जाकर ऐसी दुकानें नियम 9 के उप नियम (3) एवं (4) में निर्धारित एजेन्सियों को आबंटित की जावे।
- (2) उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के अनुमोदन पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन पर किया जायेगा। जिस क्षेत्र में एक से अधिक प्राथमिक सहकारी साख समितियां हो वहां जिले के उप पंजीयक /सहायक पंजीयक की अनुशंसा पर समिति का चयन कर आबंटन किया जावेगा। जहां एक से अधिक प्राथमिक साख सहकारी समितियां हैं, आबंटन उप पंजीयक/सहायक पंजीयक की अनुशंसा से किया जाएगा।

उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना दी जाएगी।

(3) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन -

- (क) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निम्न प्राथमिकता कम से किया जावे -

(एक) वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लेम्पस)

- (दो) ग्राम पंचायतें
- (तीन) महिला स्व-सहायता समूह
- (चार) प्राथमिक सहकारी साख समितियां
- (पांच) वन सुरक्षा समितियां
- (छः) अन्य सहकारी समितियां

- (ख) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र (आई.टी.डी.पी.) में 10 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानें अन्य सहकारी समितियों को दी जावेगी। अन्य सहकारी समितियों हेतु आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अन्य सहकारी समितियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जावे। 33 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानें वन सुरक्षा समितियों एवं महिला स्वसमूहों हेतु आरक्षित होंगे। शेष सभी दुकानें वृहताकार बहुदेशीय समिति (लेम्पस) एवं ग्राम पंचायतों को आबंटित की जायेगी।
- (ग) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र (आई.टी.डी.पी.) में संचालित सभी उचित मूल्य दुकानों में सेल्समेन की नियुक्ति स्थानीय जनजातीय वर्ग के बी.पी. एल. परिवारों से की जावेगी।
- (घ) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र (आई.टी.डी.पी.) में 33 प्रतिशत सेल्समेन जनजातीय महिलावर्ग से होने चाहिये।

(4) अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन -

- (क) अधिकृत अधिकारी द्वारा एजेन्सियों को उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निम्नलिखित क्रम से किया जावे-
 - (एक) ग्राम पंचायतें
 - (दो) महिला स्व-सहायता समूह
 - (तीन) प्राथमिक सहकारी साख समितियां
 - (चार) अन्य सहकारी समितियां
- (ख) अन्य क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह अथवा अन्य सहकारी समितियों हेतु 33 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानें आरक्षित रहेगी जिसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। अन्य सहकारी समितियों को आबंटित किये जाने वाले उचित मूल्य दुकानों में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अन्य सहकारी समितियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जावे।
- (ग) अन्य सहकारी समितियों को छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसी अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों को अपने अभिलेखों का अंकेक्षण सहकारिता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

- (5) उचित मूल्य दुकानों का आबंटन केवल उन अन्य सहकारी समितियों को किया जावे जो दिनांक 01 नवम्बर 2000 या उससे पूर्व से पंजीकृत हो तथा यह नियम महिलाओं हेतु आरक्षित उचित मूल्य दुकानों तथा भूतपूर्व सैनिकों द्वारा गठित अन्य सहकारी समितियां को उचित मूल्य दुकान के आबंटन में लागू नहीं होगा।

(6) ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य दुकानों का संचालन ग्राम पंचायत स्वतः करेगी तथा इसके लिए किसी निजी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य दुकानों का संचालन एक निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समिति द्वारा की जावेगी— सरपंच, पंचायत सचिव, एक पंच एवं एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कार्डधारी, एक अन्त्योदय कार्डधारी जो ग्राम सभा द्वारा नामांकित किया जावेगा। इसमें से कम से कम दो सदस्य महिलाये होंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य दुकानों के सेल्समेन के पद पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति किया जाएगा।

(7) सेल्समेन की नियुक्ति निम्न प्राथमिकता क्रम से की जावेगी :-

- (क) अनुसूचित जाति
- (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग

समस्त सेल्समेनों में 33 प्रतिशत महिलाये एवं 10 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति रहेंगे।

(8) उचित मूल्य की दुकान आबंटन करने वाला प्राधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन स्थान एवं इससे जुड़े राशनकार्डों की संख्या अंकित रहेगी। उचित मूल्य दुकान के आबंटन की जानकारी आबंटन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्यतः प्रदर्शित की जाएगी तथा उचित मूल्य दुकान के आबंटन के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया की प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार सेल्स मेन के रूप में नियुक्ति अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों के पृथक-पृथक आंकड़े भी प्रदर्शित किये जाएंगे।

10. उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा अनुबन्ध पत्र का निष्पादन और प्रतिभूति का निक्षेप -

उचित मूल्य की दुकानें आबंटित होने के पश्चात दुकानदार विहित प्रारूप में एक अनुबंध पत्र राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित करेगा। अनुबंध पत्र निष्पादित करने के पश्चात ही संबंधित एजेन्सियों को आबंटन पत्र तथा वितरण का कार्य दिया जा सकेगा।

11. उचित मूल्य दुकानदारों के उत्तरदायित्व -

- (1) उचित मूल्य के दुकानदारों को आवश्यक वस्तुएं उन एजेन्सियों से प्राप्त करना होगा जो कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किए गए हों।
- (2) उचित मूल्य के दुकानदारों का यह दायित्व होगा कि माह के प्रथम सप्ताह के भीतर संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का आबंटन प्राप्त कर दुकान में उपलब्ध रखें।
- (3) उचित मूल्य दुकानदार का राशनकार्डों में सभी आवश्यक प्रविष्टियां करने का उत्तरदायित्व होगा।
- (4) आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के पश्चात उचित मूल्य दुकानदार अनावश्यक वस्तुओं का विवरण संबंधित ग्रामपंचायत अथवा स्थानीय नगरीय निकाय एवं निगरानी समिति को लिखित में देगा जो उसे अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगी।
- (5) उचित मूल्य के दुकानदार आवश्यक वस्तुओं का विक्रय उन उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई मात्रा एवं मूल्य के अनुसार करेंगे जिनका राशनकार्ड उनकी दुकान में पंजीकृत है। राशनकार्ड के बिना उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किन्हीं आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जावेगा।

- (6) उचित मूल्य दुकानदार प्रदाय योग्य आवश्यक वस्तुएं कार्डधारक अथवा राशनकार्ड में अंकित किसी सदस्य को करेगा ।
- (7) उचित मूल्य दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कमीशन देय होंगे ।
- (8) उचित मूल्य दुकान चलाने वाली तथा वितरण करने वाली एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार की एजेंसी, छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा संबंधित लीड समितियां तथा थोक केरोसिन डीलरों) का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ही माह के लिए आबंटित संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करायेंगे ।
- (9) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्न के नमूनों को उचित मूल्य की दुकान में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा ।

12. उचित मूल्य की दुकानों का आकार, उनके खुलने और बंद होने का समय आदि -

- (1) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का आकार कम से कम इतना होगा कि मासिक जरूरत की आधा संग्रहित किया जा सके । विनिर्दिष्ट वस्तुओं की मासिक जरूरत का संग्रहण एवं इसका वितरण बिना किसी कठिनाई के किया जा सके । सम्मिलित यूनिटो हेतु विनिर्दिष्ट वस्तुओं की मासिक आवश्यकता का सुगमता से वितरण किया जा सकेगा ।
- (2) दुकान के सामने महिला एवं पुरुष खरीददारों की अलग-अलग कतार बनाने के लिए पर्याप्त जगह रखना होगा ।
- (3) दुकानों के खुलने तथा बंद होने का समय कलेक्टर द्वारा नियत किया जावेगा । दुकान निर्धारित कार्य दिवस में कम से कम आठ घंटे खुली रहेगी । दुकान सुबह और शाम दोनों समय निर्धारित समयाविधि में स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए खोली जा सकेगी ।

13. उचित मूल्य की दुकानों पर रखे जाने वाले रजिस्टर तथा उनका निरीक्षण -

- (1) उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा ऐसे समस्त पंजियों का संधारण किया जाएगा, जो संचालक, खाद्य द्वारा विहित किये गए हों ।
- (2) दुकानदार समस्त रजिस्ट्रों का निरीक्षण किये जाने के लिए खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जिनका पद खाद्य निरीक्षक से निम्न का न हो, राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिनका पद नायब तहसीलदार से निम्न का न हो, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जिनका पद उप अंकेक्षक जो सहकारिता निरीक्षक से निम्न न हो तथा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों को समस्त जानकारी तथा सुविधाएं देंगे ।
- (3) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा समस्त जानकारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिशनरों (याचिका 196/2001, पी.यू.सी.एल.विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) के सलाहकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जावे ।
- (4) सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन देने पर उचित मूल्य दुकानदार जानकारी एवं अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करायेंगे । राशनकार्डधारी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों के सुसंगत उद्धरण प्राप्त करने हेतु आवेदन सहित 2.00 रुपए प्रति पेज के मान से राशि जमा करायेंगे । उचित मूल्य

दुकानदार आवेदन एवं निर्धारित राशि प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर दस्तावेजों के सुसंगत उद्धरण उपलब्ध करावेगा ।

14. उचित मूल्य की दुकान पर बोर्ड आदि का प्रदर्शन -

- (1) उचित मूल्य दुकानों पर हिन्दी में लिखित एक सूचनापटल लगाया जायेगा । सूचना पटल का शीर्षक "सरकारी उचित मूल्य की दुकान" होगा एवं इस सूचना पटल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 1.50 मीटर एवं 0.75 मीटर होगी । यह सूचनापटल पीले रंग का होगा तथा दुकान का क्रमांक, पता, दुकान खुलने एवं बंद होने तथा उचित मूल्य दुकानदार के नाम काले रंग से लिखी जाएगी ।
- (2) उचित मूल्य दुकानदार दुकान के प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर अन्य सूचना पटल में बी.पी.एल., अन्त्योदय और अन्नपूर्णा हितग्राहियों की सूची, आवश्यक वस्तुओं की पात्रता, निर्गम का मानदण्ड खुदरा निर्गम मूल्य, माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक, आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में दाखिल की गई शिकायतों परिवादों के समाधान के लिए प्राधिकारी की जानकारी प्रदर्शित करेगा ।

15. निर्देशों का पालन -

उचित मूल्य दुकानदार ऐसे अन्य निर्देशों, जैसा कि राज्य सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, पालन करेगा ।

16. शास्ति -

- (1) यदि उचित मूल्य दुकानदार बंधपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो दुकान आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आबंटन निलंबित अथवा रद्द किया जा सकेगा ।
- (2) दुकान का निरीक्षण किये जाने पर कोई अनियमितता पाए जाने की स्थिति में अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दुकानदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गई राशि राज्य सरकार के पक्ष में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समपहृत की जा सकेगी ।
- (3) उचित मूल्य दुकान का अधिकार पत्र रद्द किये जाने अथवा उनकी प्रतिभूति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समपहृत किये जाने के पूर्व खाद्य नियंत्रक या जिले का खाद्य अधिकारी अथवा अनुभाग का अनुविभागीय अधिकारी, दुकानदार को कारण बताओ नोटिस देगा और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद ही निर्णय देगा । यह कार्यवाही कारण बताओ नोटिस जारी होने के एक माह में पूरी की जायेगी ।
- (4) उचित मूल्य की दुकान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण में कार्यरत एजेन्सियों का निरीक्षण इस आदेश के नियम 13 के उप नियम (2) में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा किया जावेगा । सहकारी सोसाइटियों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की अनियमितताएं पायी जाने पर जांचकर्ता अधिकारी उपपंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटियों को लिखेगा जो अपना अभिमत पन्द्रह दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से दुकान आबंटन हेतु नियत अधिकारी को प्रेषित करेंगे । उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटियों की ओर से 15 दिन तक कोई सूचना प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि चाहा गया अभिमत उन्हें मान्य है तथा इस आधार पर प्रस्तावित कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी ।

(5) इस आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति या सोसाइटी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत सजा के लिए उत्तरदायी होगा । सहकारी सोसाइटियों तथा पंचायतों या अन्य संस्थाओं के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त ही की जा सकेगी, परन्तु अभियोजन कार्यवाही मात्र उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन के निष्कासन तक सीमित न रहकर सोसाइटियों या अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी, अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत सचिव के विरुद्ध भी की जा सकेगी ।

(6) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह प्राथमिक साक्ष्य मिलता है कि उसके द्वारा बेनामी रूप से उचित मूल्य दुकान संचालित है अथवा उसके द्वारा स्वसहायता समूहों, प्राथमिक सहकारी साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, अन्य-साख समितियों या ग्राम पंचायत के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से दुकान संचालित की जा रही है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

17. खाद्य सुरक्षा कोष -

(1) राज्य सरकार एक खाद्य सुरक्षा कोष निर्मित करेगी । इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य कमजोर (भेद्य) जनसंख्या हेतु खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कराना है तथा कोष का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जावेगा :-

- (क) उच्च कुपोषण वाले क्षेत्रों एवं भुखमरी के संभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना ।
- (ख) सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु नवीन माध्यमों के प्रयोग हेतु जहां सामान्य आपूर्ति व्यवस्था द्वारा खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित वस्तुओं को आवश्यकतानुसार समय पर पहुंचाया जाना संभव न हो ।
- (ग) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवासरत अतिनिर्धन, सीमान्त एवं भेद्य लोग यथा नगरीय आवासहीन, निःशक्त, बेदखल अथवा बेदखल किये जा रहे जनजातीय व्यक्तियों तक पहुंचने हेतु नवीन माध्यमों के प्रयोग हेतु ।
- (घ) संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना
- (ङ) समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जारी किये गये निर्देशों के पालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करना ।
- (च) राज्य की खाद्य सुरक्षा संबंधित अन्य आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक ऐसी अन्य कार्यवाही करना जैसा कि समय-समय पर अपेक्षित हो ।

(2) खाद्य सुरक्षा कोष का संचालन एक निकाय द्वारा किया जावेगा जिसकी अध्यक्षता सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी ।

18. अपील-

- (1) इस आदेश के अंतर्गत राशनकार्ड जारी करने, नवीनीकरण या राशनकार्ड को रद्द करने हेतु नियत अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही से व्यथित व्यक्ति आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर को अपील कर सकेगा ।
- (2) इस आदेश के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान का आबंटन अथवा रद्द करने हेतु नियत अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही से व्यथित व्यक्ति आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा । कलेक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति

आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

- (3) ऐसी किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (4) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान, अपील अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश उस अपील के निपटारे तक अथवा उप नियम (3) के अंतर्गत अन्य पार्टी सुनवाई का आवश्यक युक्तियुक्त अवसर दिए जाने तक, जो भी पूर्व हो, प्रभावी नहीं होगा।

19. छूट -

राज्य सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 से संगत रहते हुए इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों के प्रावधान से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

20. इस आदेश के अधीन किए गए कार्य का संरक्षण -

इस आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

21. निरसन तथा व्यावृत्ति -

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/खाद्य/29/2001, दिनांक 23 जून 2001 द्वारा प्रभावशील छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 2001 इस आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से निरस्त हो जाएगी।

ऐसे निरसन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम, 2001 के अधीन जारी गया कोई आदेश इस आदेश के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

क्रमांक-एफ-13-8/खाद्य/2004/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-13-8/खाद्य/2004/29, दिनांक 23 दिसंबर, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनंत, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 23rd December, 2004

NOTIFICATION

No. F-13-8/food/2004/29- In exercise of the power conferred by section 3 of the Essential Commodities Act-1955 (10 of 1955) read with the Public Distribution System (Control) Order No. G.S.R. 630(E) dated 31.08.2001 issued by Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the state government here by makes the following order namely: -

1. Short title extent and commencement :-

- (1) This order may be called the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order 2004.
- (2) It extends to the whole of the state of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the "Chhattisgarh Gazette".

2. Definitions :-

- (1) In this order unless the context otherwise requires-
 - (a) "Central order" means Public Distribution System (Control) Order-2001.
 - (b) "State Government" means Government of Chhattisgarh.
 - (c) "Director" means Director of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Chhattisgarh .
 - (d) "Collector" means the Collector of the district and includes any other officer authorized by the state government to perform all or any of the functions of the Collector under this order.
 - (e) "Fair Price Shop " means a shop setup by the State Government with agreement for supply of essential commodities to ration cardholders of Public Distribution System under this Order.
 - (f) "Public Distribution System" means the system for distribution of essential commodities to the ration cardholders through the Fair Price Shops, such as rice, wheat, sugar, kerosene and salt and such other

commodities as notified by the State Government under clause (a) of section 2 of the Act.

(g) "Ration Card " includes the following ration cards:-

- (i) Ration card issued to families above the poverty line.
- (ii) Ration card issued to families below the poverty line.
- (iii) Ration card issued to Antodaya families (the poorest families identified by State Government).
- (iv) Ration card issued to destitute families under Annapoorna Yojana.
- (v) Other ration card issued for any specific objective under any Central or State Government scheme.

3. Identification of families living below the poverty line :-

- (1) State Govt. shall formulated suitable guidelines for the purpose of identification of families living below the poverty line (BPL) including the Antyodaya families. Till the preparation of new list in forthcoming years, the present list shall be valid.
- (2) Gram Sabha in rural areas, local bodies of urban areas, authority of Special Area Development Authority and Cantonment board of Cantonment Area shall get the lists of below poverty line & Antyodaya families reviewed every year for the purpose of deletion of the name of ineligible families and inclusion of the name of eligible families.
- (3) At the instruction of the State Government the Gram Sabha and local representative bodies shall finalize the list of below poverty line families, Antyodaya families & beneficiaries of Annapoorna Yojana within their respective jurisdiction.
- (4) In case any irregularity is found in the identification of eligible beneficiaries and the issuance of the ration card and people ineligible for any particular scheme (BPL, Annapoorna or Antodaya) are found to have been given such cards or people eligible for receiving these cards have not been included under these schemes, action will be taken under the provisions of the Essential Commodities Act.

4. Ration card :-

- (1) State Government shall issue distinctive ration cards for each scheme. Ration cards shall be issued after application of beneficiary family received in the form prescribed by Director.

The primary purpose of the Public Distribution System is to ensure food security to all vulnerable citizens and the ration card is a means of doing so. Therefore, ration cards will also be provided to all residents whose legal title to their place of residence is disputed by the state (eg. Forest dwellers, urban encroachers).

- (2) Permanent address of homeless and destitute persons shall not be required in the prescribed pro-forma. Instead of the permanent address, their address could be shown as "care of" the nearest ration shop.
- (3) Ration Cards will also be issue to all residents of urban settlements even if they do not have tenurial rights over the property that they live in. This will be valid for all eligible residents of "encroached" government land.
- (4) Residents of forest villages who are resident on "encroached" or disputed forest land will also be issued ration cards.
- (5) State Government shall take regular action to cancel all bogus ration cards.
- (6) Ration card of families living above poverty line (APL) shall be issued by the Gram Panchayat in rural areas, in urban areas, by local bodies; Authority of Special Area Development Authority and Cantonment board of Cantonment areas shall prepare and issue ration cards to consumers in their respective jurisdiction. Distinctive ration card shall be issued by the officer authorized by the Collector to families living below poverty line (BPL).
- (7) Present ration cards issued under different schemes shall be valid till its cancellation.
- (8) No person shall,
 - (a) apply for or receive ration card when a ration card has already been issued in her/ his name or any member of her/ his family and her/ his or her/ his family members name has been made mentioned in it;
 - (b) give incorrect details or information while applying for a family card;
 - (c) willfully alter or destroy, deface or permit to be defaced any of the entries on the family card.
- (9) Respective office/body/ official shall issue the ration card after necessary inspection and verification within one month of receiving the application. A copy of the application and inspection report shall be given to the Fair Price Shop. All applications and inspection reports shall be maintained in a

register and shall be compulsorily produced on demand of the inspection officer.

- (10) The holder of a ration card shall get the same registered with concerned Fair Price Shop. The ration cardholder can obtain essential commodities of Government Schemes after the submission of ration card from the Fair Price Shop, where the ration card is registered.
- (11) If State Government shall not provide ration card or make alteration in entries as requested by the card holder within a month, then the concerned authority shall intimate the cause of the delay to the applicant in writing.
- (12) The Collector shall ensure that ration cards are issued to all the identified eligible families living below poverty line and persons identified for specific schemes. For that, she/ he can issue necessary instructions to concerned officers or body.
- (13) Normally a ration card shall be valid for five years from its date of issuance. After five years the ration card shall be renewed or a new ration card will be issued, as the State Government may prescribe.
- (14) Ration cards shall have clearly marked on it the name and address of the ration cardholder, name, age of family members and their relation with head of family and name and number of Fair Price Shop from whom the ration cardholder is entitled to purchase essential commodities.
- (15) The card will be issued jointly in the name of both the eldest male and female members of the family. Both these names will appear under the section "Name of the head of the family" in the ration card.
- (16) In case of women who separated from her husband or is deserted by him, she would automatically be entitled for a separate card in her name. It will be the responsibility of the concerned issuing authority to ensure that her name is struck off from the original card. In case the separation from her family results in a loss of livelihood or a lowering of her economic status, her application for an independent card would be processed such that she can directly get a card under the BPL, Annapoorna and Antodaya scheme, whichever is appropriate.
- (17) No ration card fees shall be charged or recovered by the panchayat or any issuing authority for the issue of ration card to families covered under BPL, Antodaya and Annapurna.
- (18) A ration card shall not be available for any legal use except when it is used by or on behalf of the person in respect of

whom it is issued and it shall not be used for identification of any person.

- (19) Ration cards issued to any person shall be transferred to any another person.
- (20) Every family ration card under this order shall be the property of the State Government but the person to whom it is issued, or to the authority to whom it has been surrendered by her/ him shall be responsible for its safe custody.
- (21) If any ration card is defaced, lost or destroyed, an authorized officer, after making such enquiry as she/ he may think fit, issue a new ration card in place thereof, on payment of such fees as may be fixed.
- (22) When a new ration card is issued in place of a lost ration card, it shall be the duty of person to whom the new ration card has been issued, if she/ he subsequently finds the lost ration card, to return the lost ration card forthwith to the officer by whom it was issued.
- (23) Any person who is in possession of a ration card and such possession is not authorized by or under this order shall forthwith deliver such a ration card to the concerned Tehsildar or Local Bodies.
- (24) Elimination of bogus ration cards as well as bogus units in the ration cards shall be a continuous exercise by the Collector to check diversion of essential commodities.
- (25) The concerned Sub-Divisional Officer or ration card issuance authority after giving the holder of any such ration card an opportunity stating her/ his case and for reason to be recorded in writing, add to, amend vary or rescind the ration card if it is in the interest of general public necessary or expedient so to do, and in every such case, the holder of the ration card shall be bound to surrender the ration card on demand for endorsement or cancellation as the case may be.

5. Lifting, Storage, Transportation and distribution :-

- (1) The allocations made by the central Government or by State Government for distribution under the Public Distribution System shall not be diverted for any other purpose.
- (2) The Director shall, on getting allocation of food grains from the Central Government, issue district wise allocation orders authorizing Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation limited to lift food grains from FCI or from stock of foodgrains

under the decentralized procurement within ten days of the receipt of allocation orders made by the Government of India.

- (3) The Food Corporation of India (FCI) or Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited shall ensure physical delivery of food grains of fair average quality within two weeks of demand with specific amount.
- (4) In the District Headquarters, the Food Controller / Food Officer and Sub Divisional Officer for other areas shall issue fair price shop wise allocation orders. The copy of the allotment order shall be compulsorily given to the Gram Panchayats and local bodies.
- (5) While making monthly allocation to the fair price shop, the allotment authority shall take into account the balance stock, if any lying undistributed with the FPS owners for the next month allocation.
- (6) The Collector, District Manager of the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and other designated authority of Collector will ensure further delivery of foodgrain, sugar and salt to the Fair Price Shop with in the first week of the month for which allocation is made.
- (7) Before making the payment to the FCI the representative of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and Food Corporation of India shall conduct joint inspection of the stocks of food grains intended for issue to ensure that the stocks conform to the prescribed quality specifications. Similarly before making the payment to the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited the representative of Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and representative of District Collector shall conduct joint inspection of the stocks of food grains intended for issue to ensure that the stock conform to the prescribed qualities specifications.
- (8) The FCI shall issue to the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited stack-wise sealed samples of the stocks of food grains supplies to them for the distribution under Public Distribution System at the time of dispatch. Similarly Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited shall

issue to the lead and link cooperative society and Fair Price Shop stack-wise sealed samples of the stocks of food grains supplies to them at the time of dispatch.

- (9) The District Collector shall ensure that full quantity of food grain, sugar and salt lifted by Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited reaches their godowns and in turn to the Fair Price Shops within time.
- (10) The designated authority of Collectors, District Manager, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited and concerned agencies engaged in transportation of all essential commodities covered under the PDS including foodgrains, kerosene, sugar and salt shall ensure that stocks of essential commodities under the Public Distribution System, as issued from the Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited godowns and godowns of other agencies dealing with kerosene are not replaced by stocks of inferior quality during storage, transit or any other stage.
- (11) Director food shall prescribe the format of sale register, stock register and ration card register and proper system of monitoring of Fair Price Shops.
- (12) The ration cardholder shall be entitled to draw essential commodities from a Fair Price Shop within her/ his eligibility. It is not necessary for the card holder to lift the entire quantity of food grains/ other commodity that she/ e is entitled for in one installment but can do so in a number of installments.
- (13) The ration cardholder shall be entitled to draw food grains and other essential commodities of a maximum of previous two months from a Fair Price Shop, which was not lifted by him.

6. **Power of search and seizure :-**

Any person authorized by the State Government or Collector may :-

- (1) Enter any premises used or believed to be used for the sale, distribution or storage for sale or distribution of any essential commodity covered under the Public Distribution System and inspect any such premises and any essential commodity therein or thereon.

- (2) Require any person to make any statement or furnish any information or to produce any document or article in possession or under his control relating to the purchase, sale, distribution or storage of any essential commodity and every person so required shall comply with such requisition.
- (3) Take or cause to be taken extracts from or copies of any document relating to the purchase, sale, distribution or storages of any essential commodity which is produced under sub rule (2) or otherwise founds in any such premises.
- (4) Test or cause to be tested the weight of all or any of the essential commodities found in any such premises. Provided that in entering upon and inspecting any premises the persons so authorized shall have due regard to the social and religious customs of the persons occupying the premises.
- (5) The said authority may also search, seize or remove such books of accounts or stocks of essential commodities where such authority has reason to believe that these have been used or will be used in contravention of the provisions of this Order.

7. **Monitoring :-**

- (1) The Director shall ensure regular inspection of a Fair Price Shops not less than once in two months by the designated authority. Director, food will issue orders specifying the inspection schedule, list of checkpoints and the authorities responsible for ensuring compliance with the said orders.
- (2) Meeting of the vigilance committees on the Public Distribution System at the State, District, Block and FPS level shall be held on regular basis. The periodicity of the vigilance committees at each level shall not be less than one meeting in a month. The vigilance committee at the State level will include the Adviser to the Commissioners of the Supreme Court (writ 196/ 2001, PUCL vs. the Union of India) and one nominee from civil society nominated by the Adviser. Each district committee will similarly have one representative nominated by the Adviser to the Commissioners of the Supreme Court.
- (3) The performance of the every Fair Price Shop will be reviewed once a year by the Gram Sabha through a social audit.
- (4) The Director shall ensure a periodic system of reporting and the complete information regarding allocation and distribution of essential commodities under Public Distribution System. Fair

Price shopkeeper shall send information of actual distribution and balance stock of the month to district food office in prescribed form "A". By the Collector to the State Government by the 15th of the month following the month for which allocation and distribution is made in form "B". By the state Government to Central Government end of the month following the month for which allocation and distribution is made in form "C".

Future allocation of food grains to districts shall be linked to the receipt of regular reports from the respective districts and furnishing of utilization certificates by them within a period of one month from the month for which allocation is made.

- (5) State Government shall issue necessary instructions to education cardholders regarding the rights and privileges under the Public Distribution System by use of electronic and print media.
- (6) State Government shall issue and adopt the Citizen's Charter according to department's necessity.

8. Number and location of fair price shop :-

The number and location of fair price shops shall be specified by the Collector, and she/ he shall take care of following guidelines:

- (1) Normally in urban area there shall one fair price shop for area having 1000 Ration cards (amongst minimum 400 BPL or Antyodaya ration cards). The shop in urban area shall be established in those areas that will convenient to the beneficiaries.
- (2) Number & Location of shops shall be determined, whatever possible on the basis that no beneficiaries should have to walk more than 3 kilometers.
- (3) Normally in rural areas, shop shall be established on the basis of Gram panchayat as unit but another shop can be established if the distance is beyond 3 kilometers from the beneficiaries. The location of shop shall be in center of these areas where from the supplies of foodstuff can easily made available to inhabitants.

- (4) In all rural areas, shops must be located in government buildings. They cannot be under any circumstances operate from the residence of any individual. In urban areas the shops must not operate from any place which is also used as a residence but must be a clearly identified shop.

9. **Allocation of fair price shops**

- (1) Fair Price Shop run by Large Aadim jati Multipurpose Cooperative Societies (LAMPS), Primary credit cooperative societies, forest protection committees, self help groups, Gram Panchayats and other cooperative societies shall be continued but not run by the private persons. Within six months from commencement of this Order, Fair Price Shops run by the private persons shall be cancelled and allotted to the specified agencies mentioned in sub rule (3) and (4) of rule 9.
- (2) In district headquarters Fair Price Shops shall be allotted by Food Controller /Food Officer on approval of Collector and in remaining places of district, by sub divisional officer of sub division on approval of Collector. In areas where more than one primary credit cooperative societies exists, allocation shall be made on the recommendations of the Deputy Registrar / Assistant Registrar of district.

For allotment of Fair Price Shop an advertisement shall be published in local newspapers and information of it shall be given to concerned urban local bodies and Gram Panchayat compulsorily.

(3) **Allotment of Fair Price Shops in ITDP area :-**

- (a) Allotment of Fair Price Shops to agencies by authorised officer shall be done only to following:
- (i) Large Aadim Jati Multipurpose Cooperative Societies (LAMPS).
 - (ii) Gram Panchayats
 - (iii) Women's Self help groups
 - (iv) Primary credit cooperative societies.
 - (v) Forest protection committees.
 - (vi) Other cooperative societies

- (b) In ITDP areas only 10 % of the shops will be allotted to other co-operative societies. For allotment of these fair price shops reserved for other cooperative societies, the ex-serviceman cooperative societies shall be given top priority. 33% of all Fair Price Shops shall be reserved for the Forest Protection Committees and Women's Self help groups. All the remaining shops will be allotted to LAMPS and Gram Panchayats.
- (c) The salesperson of all Fair Price Shops operating in ITDP areas shall be appointed from the BPL families of local tribal communities.
- (d) 33% of all salesperson in ITDP area should to be tribal women.

(4) **Allotment of Fair Price Shops in other area :-**

- (a) Allotment of Fair Price Shops to agencies by authorised officer shall be to the following:
 - (i) Gram Panchayats
 - (iii) Women's Self help groups
 - (ii) Primary credit cooperative societies
 - (iv) Other cooperative societies
 - (b) In other areas 33 percent Fair Price Shops shall be reserved for the Women's Self Help Groups or other cooperative societies run by women, these shops shall be specified by the Collector. For allotment of fair price shops to other cooperative societies ex-serviceman cooperative societies shall be given top priority.
 - (c) Other consumer cooperative societies shall be registered under Chhattisgarh Cooperative Act, 1960. The authorised officer of Cooperative department shall do audit of accounts of Fair Price Shops run by other consumer cooperative societies.
- (5) Fair Price Shops shall be allotted to only those other cooperative societies, which is registered on or before 01 November 2000. However it shall not be applicable for allotment of Fair Price Shops reserved for women.

- (6) Fair Price Shops allotted to Gram Panchayats shall be run by Gram Panchayats itself and Gram Panchayats shall not authorize any private person to run it. Fair Price Shops allotted to Gram Panchayats shall be run by a committee consisting of the following people - the Sarpanch, Secretary of the Panchayat, one Panch and one BPL cardholder and one Antodaya card holder nominated by the Gram Sabha. Atleast two of these people have to be women members. Any local literate and unemployed person shall be appointed on approval of Gram Sabha as salesman of Fair Price Shop run by a Gram Panchayat.
- (7) The salesperson will be appointed on the following basis of priority:
 - (a) Scheduled Caste
 - (b) Other Backward Caste

Atleast 33% of all the salespersons have to be women and 10% have to be disabled.
- (8) Authorised officer for allotment of Fair Price Shops shall maintain a register in her/ his office having entries of allotment of Fair Price Shops, location and number of ration cards attached to it. Information of allotment of Fair Price Shops shall be displayed on notice board and copy of the procedure adopted for allotment of Fair Price Shops shall be made available as per rule. Desegregated data on the number of SC, OBC, disabled and women salesperson will be similarly displayed.

10. Execution of agreement and deposit of security :-

After allocation of Fair Price Shop, shopkeeper shall execute an agreement in the favor of State Government in prescribed format. The papers of allotment and distribution work shall be allotted to the respective agencies after the execution of agreement.

11. Responsibilities of Fair Price Shopkeeper :-

- (1) Fair Price Shopkeeper shall receive essential commodities from those agencies, which were authorized by the collector.
- (2) The responsibility of Fair Price Shopkeeper to make available the whole allotment of essential commodities after taking delivery within the first week of the month.
- (3) Fair price shopkeeper shall be responsible for making all essential entries in ration cards.

- (4). After receiving essential commodities by Shopkeeper, she/ he shall give the description of essential commodities in written to the concerned Gram Panchayat or urban local bodies and vigilance committee, who will display it on their notice board.
- (5) Fair Price Shopkeeper shall sell essential commodities in such quantities and at the retail issue price as may be specified from time to time by the State Government to those consumers whose ration cards have been registered at her/ his shop. Fair Price Shopkeeper shall not sale any essential commodities without ration card.
- (6) Fair Price Shopkeeper shall sell essential commodities to ration cardholders or any other member having their name in the ration card.
- (7) The commission at such rate as specified from time to time by the State Government shall be payable to Fair Price shopkeeper.
- (8) The agencies, who runs Fair Price Shops and supplying agency (Food Corporation of India, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited, lead societies and wholesale dealer of kerosene) shall ensure the availability of essential commodities to the FPS with in the first week of the month for which allocation is made.
- (9) Fair Price shopkeeper shall display the samples of food grains being supplied through the Fair Price shop.

12. Size of Fair Price Shop and its opening and closing time etc.:-

- (1) The minimum size of a fair price shop should be such that atleast half of quantities of one month's requirement can be stored in it. The monthly requirement of specify commodities for aggregated units and its distribution can done without difficulty.
- (2) There shall be enough space in front of shop for separate queue of women and men.
- (3) Opening and closing time of shops shall be fixed by the collector. The shops shall remain open at least eight hours in a day. The shop shall remain open in morning and evening during fix hours according to the local requirements.

13. Register maintained by the Fair Price shopkeeper and its inspection :-

- (1) Fair Price Shopkeeper shall maintain registers as may be prescribed by the Director.
- (2) For inspection of registers the shopkeeper shall provide all facilities to the officer of Food & Civil Supplies department not

below the rank of Food Inspector officer of Revenue department not below the rank of Naib Tehsildar, officer of Corporative department not below the rank of Sub Auditor and other official authorized by the collector.

- (3) Fair Price Shop keepers shall provide all these information to any individual authorised by the Adviser to the Commissioners of the Supreme Court (Writ 196/ 2001, PUCL vs. Uol and Others).
- (4) Fair Price Shops have to provide information and copies of all the records to any individual who applies for them under the Right to Information Act. Any ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop-keeper may mae a written request to such owners along with a deposit of Rs.2.00 per page. The fair price shop keeper shall provide such extracts of the records to the ration card holder within fourteen days from the date of receipt of a request and the payment of the specified fees.

14. Exhibition of board etc. at Fair Price shop :-

- (1) Fair Price Shopkeeper shall be display a notice board of Fair Price Shop written in Hindi. The heading of notice board shall be "Sarkari Uchit Mulya Ki Dukan" and the length and breadth of notice board will be 1.50 meters and 0.75 meters respectively. The notice board shall be painted in yellow colour in which number, address, timings of opening and closing of shop and the name of Fair Price Shopkeeper will be written in Hindi in black colour.
- (2) Fair Price shopkeeper shall display the information on another notice board at a prominent place in the shop on daily basis regarding list of BPL, Antyodaya and Annapoorna beneficiaries, entitlement of essential commodities, scale of issue, retail issue prices, stock of essential commodities received during the month, opening and closing stock of essential commodities and the authority for redressal of grievances/lodging complaints with respect to quantity and quality of essential commodities under Public Distribution System.

15. Compliance of instructions :-

Fair Price shopkeeper shall comply with such other directions as may be issued from time to time by the State Government or the Collector.

16. Penalty :-

- (1) If shopkeeper contravenes any provision of agreement, his shop shall be liable for suspension or cancellation by authorized officer for allotment of Fair Price shop.
- (2) During inspection of shop, if any irregularity found then without prejudice to any action the whole or part of amount deposited by shopkeeper as security, shall be forfeited in favour of the State.
- (3) Before cancellation of authority letter of Fair Price Shop or forfeiture of whole or part of security, Food Controller or Food Officer of district, Sub Divisional Officer of sub division shall issue show cause notice and after giving him appropriate opportunity of hearing decision shall be made. This action shall be completed within a month from issuance of show cause notice.
- (4) The inspection of Fair Price Shop and other agencies engaged in supply and distribution of essential commodities under public distribution system shall be done by the officers mentioned in the sub rule (2) of rule 13 of this order. If irregularities found against Fair Price Shop run by cooperative societies, then inspecting officer communicate it to Deputy Registrar/ Assistant Registrar, Cooperative societies, who will send his report within 15 days to officer designated for allotment of Fair Price Shop. If the said Deputy Registrar/ Assistant Registrar, Cooperative societies does not submit his report within 15 days then it will be presumed that the consent of Deputy Registrar/ Assistant Registrar, Cooperative societies is favorable and proposed action can be completed.
- (5) If any person, society or group contravenes any provisions of this Order, he shall be liable to punishment under section 7 of Essential Commodities Act. In case of cooperative societies, Gram Panchayat or other institution the prosecution may be started on the approval of Collector but in such cases the action shall not be restricted to salesman of Fair Price Shop only it can be extended to President and executive officers of society and other institutions and Sarpanch, Secretary of Panchayat of Gram Panchayat.
- (6) If there is prima-facie evidence that any individual is operating a shop as a proxy/ "benami" shop keeper or de-facto owner by

using the self-help groups, primary credit societies, forest protection committees, other credit societies or Gram Panchayat, she/he will be prosecuted under the provisions of the Essential Commodities Act as if she/ he were running the shop.

17. Food Security Fund :-

- (1) The State Government shall create a Food Security Fund. The primary purpose of this fund is to strengthen food security for vulnerable populations and fund may be used for the following:
 - (a) To ensure food security in areas where malnutrition levels are very high and possibilities of starvation exist.
 - (b) To try out innovative delivery mechanisms in remote areas where the normal delivery system is unable to meet the needs for timely supply of food grains and other essential commodities covered under the PDS.
 - (c) To try out innovations to reach un-reached populations of very poor, marginalised and vulnerable people both in urban and rural areas like urban homeless, disabled, tribal people facing displacement/ or who are already displaced.
 - (d) To strengthen the monitoring system for the Public Distribution System across the state.
 - (e) To take all steps that may be necessary to ensure compliance with the orders of the Honorable Supreme Court which may be issued from time to time with regard to the Public Distribution System.
 - (f) To meet our any other exigencies as may be required from time to time to strengthen the food security requirements of the state.
- (2) The Food Security Fund will be managed by a body chaired by the Secretary, Department of Food, Civil supplies and Consumer Protection, Government of Chhattisgarh.

18. Appeal :-

- (1) Any person aggrieved by an order of the designated officer denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the Collector/ Additional Collector within 30 days of the date of receipt of the order.
- (2) Any person aggrieved by an order of the designated officer for the allotment of Fair Price Shop or cancellation of Fair Price

Shop may appeal to the Collector within 30 days of the receipt of the order. Any person aggrieved by an order of the Collector may appeal to the State Government within 30 days of the date of receipt of the order and its decision shall be final.

- (3) No such appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.
- (4) Pending the disposal of an appeal, the appellate authority may direct that the order under appeal shall not take into effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub rule (3) or until the appeal is disposed off, whichever is earlier.

19. Exemption :-

For effective operation of Public Distribution System in pursuance with the Public Distribution System (Control) Order 2001, the State Government may by special order exempt all or any part of the provisions of this Order and may at any time suspend or cancel such exemption.

20. Protection of action taken under Order :-

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Order.

21. Repeal and Savings :-

Chhattisgarh (Khadya Padartha) Sarvajanic Nagrik Poorti Vitaran Scheme 2001, enforced by this department's notification No. F 12-1/ Khadya/29/2001, dated 23rd June 2001 is hereby rescinded on the date of enforcement of this scheme.

Notwithstanding such repeal, any order issued under the Chhattisgarh (Khadya Padartha) Sarvajanic Nagrik Poorti Vitaran Scheme, 2001 shall be deemed to have made granted or issued under this Order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.